रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940
No. 45] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (एफओओ) आधार पर स्थापित विद्युत स्टेशनों से मध्यावधि विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

सं. 23/17/2013-आरएंडआरखंड-V। (भाग-2).—जबकि केंद्र सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 (**"अधिनियम"**) के प्रावधानों के अनुसार विद्युत उत्पादन के सुव्यवस्थित विकास के लिए एक सक्षम नीति और विनियामक वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है;

जबकि प्रतिस्पर्द्धात्मक और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्युत की अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विद्युत विनियामक आयोगों और वितरण लाइसेंसधारकों के लिए आवश्यक है;

जबकि केंद्र सरकार ने विभिन्न पणधारकों और विशेषज्ञों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, उन विद्युत उत्पादकों से, जो मध्यावधि के लिए "वित्त, स्वामित्व और प्रचालन" (**"एफओओ"**)' के आधार पर अथवा विद्युत उत्पादकों के साथ बैक-टू-बैक प्रबंध रखने वाले व्यापारियों/वितरण लाइसेंसधारी से ताप विद्युत स्टेशनों का निर्माण और/अथवा प्रचालन करने के लिए सहमत हों, वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए एक आदर्श संविदात्मक ढांचा तैयार किया है;

जबकि केंद्र सरकार ने अपने पत्र सं. 23/17/2013-आरएंडआर (खंड-II) दिनांक 29 जनवरी, 2014, के माध्यम से जारी किए गए मॉडल दस्तावेज, मॉडल पात्रता अनुरोध (**"एमआरएफक्यू"**) मॉडल प्रस्ताव अनुरोध (**"एमआरएफपी"**) और मॉडल विद्युत अधिप्राप्ति करार (**"एमएपीपी"**) (संयुक्त रूप से, **"मानक बोली दस्तावेज"**) शामिल हैं जिसे बिजली की अधिप्राप्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा अपनाया जाना है।

उपर्युक्त के आधार पर, केंद्र सरकार ने 10 फरवरी, 2014 की संकल्प सं. 23/17/2013-आरएंडआर (खंड-II) के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए थे जिन्हें आगे 20 अगस्त, 2015 के संकल्प के तहत संशोधित किया गया था,इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने, दिनांक 16 जनवरी, 2017 के पत्र सं. [23/17/2013-आरएंडआर] (खंड-IV)के तहत"मानक बोली दस्तावेज" के रूप मेंसिंगल दस्तावेज जारी किया है जिसमें दोनों पात्रता हेतु मॉडल अनुरोध (**"एमआरएफक्यू"**) तथा प्रस्ताव हेतु मॉडल अनुरोध (**"एमआरएफपी"**), तथा विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु मॉडल करार (**"एमएपीपी"**) शामिल हैं (संयुक्त रूप से, **"मानक बोली दस्तावेज**" तथा एमएपीपी को मॉडल बोली दस्तावेज के रूप में संदर्भित किया गया है) और जो विद्युत उत्पादकों/व्यापारियों/डिस्कॉमों से विद्युत की खरीद के लिए वितरण लाइसेंसियों द्वारा अपनाए जाने हैं। इसके आधार पर, केंद्र सरकार ने दिनांक 17 जनवरी, 2017 के संकल्प संख्या 23/17/2013-आरएंडआर (खंड-V) के संकल्प के तहत दिशा-निर्देश अधिसूचित किए थे।

कोयला मंत्रालय ने दिनांक 22 मई, 2017 के अपने पत्र संख्या 23011/15/2016-सीपीडी/सीएलडी के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को कोयला लिंकेजों के आबंटन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश लागू किए हैं – न्यू मोर ट्रांसपेरेंट कोल एलोकेशन पॉलिसी फॉर पावर सेक्टर, 2017 – शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया) **("शक्ति पॉलिसी" के रूप में संदर्भित)**। शक्ति स्कीम के अंतर्गत मध्यावधि विद्युत खरीद में कोल लिंकेज के प्रयोग को भी अनुमति प्रदान की गई है।

उपरोक्त के आधार पर, केंद्र सरकार ने, दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 23/17/2013-आरएंडआर खंड-VI (भाग-2)के तहत शक्ति नीति के पैरा ख(I), ख(III) एवं ख(IV) के प्रावधानों के अनुसार कोल लिंकेज के प्रयोग को सक्षम बनाने के लिए संशोधित बोली दस्तावेज, (i) "मानक बोली दस्तावेज" के रूप में सिंगल दस्तावेज जारी किया है जिसमें दोनों पात्रता हेतु मॉडल अनुरोध (**"एमआरएफक्यू"**) तथा प्रस्ताव हेतु मॉडल अनुरोध (**"एमआरएफपी"**), तथा (ii) विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु मॉडल करार (**"एमएपीपी"**) शामिल है (**"मानक बोली दस्तावेज**" तथा एमएपीपी को संयुक्त रूप से "मॉडल बोली दस्तावेज" के रूप में संदर्भित किया गया है) और जो वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के प्रापण के लिए एफओओ आधार पर निर्मित और/अथवा प्रचालित विद्युत उत्पादन स्टेशनों से न्यूनतम प्रशुल्क के ऑफर पर आधारित वैद्युत मंच (डीईईपी ई-बिडिंग पोर्टल) के माध्यम से खुली एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा विद्युत उत्पादकों/व्यापारियों/डिस्कॉमों से प्राप्त किए जाने हैं।

बिडिंग पोर्टल हेतु लिंक विद्युत मंत्रालय**(www.powermin.nic.in)** और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड **(www.pfcclindia.com)**की वेबसाइटपर भी उपलब्ध है।

इसलिए अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इन दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करती हैं जिन्हें वित्त, स्वामित्व, प्रचालन (एफओओ) आधार पर स्थापित विद्युत स्टेशनों से मध्यावधि के लिए विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु दिशा-निर्देश (**"दिशानिर्देश"**) के रूप में जाना जाएगा। ये दिशा-निर्देश शासकीय राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन रहते हुए इसकी तारीख से प्रभावी होंगेः

1. उपरोक्त मॉडल बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तें, संदर्भ द्वारा इन दिशा-निर्देशों का भाग होगी और इन्हें इसी रूप में माना जाएगा।

2. इन दिशा-निर्देशों का लागू किया जाना उन परियोजनाओं तक ही सीमित होगा जहां से एक और पांच वर्षों की अवधि के लिए पारस्परिक सहमति से आरंभिक करार अवधि 25% तक अथवा एक वर्ष, जो भी कम हो, के लिए इस अवधि को बढ़ाने के प्रावधान सहित विद्युत की अधिप्राप्ति के करार के अनुसार विद्युत अधिप्राप्ति की जाती है।

3. मॉडल बोली दस्तावेजों को शामिल करते हुए इन दिशा-निर्देशों के आधार पर ई-रिवर्स ऑक्शन का प्रयोग करते हुए डीईईपी ई-बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित प्रशुल्क अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसरण में उपयुक्त आयोग द्वारा अपनाया जाएगा।

4. वितरण लाइसेंसियों द्वारा मॉडल बोली दस्तावेजों से कोई विचलन उपयुक्त आयोग के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। बशर्ते यह कि मॉडल बोली दस्तावेजों में अभिव्यक्त रूप से अनुमति दिए गए किसी परियोजना विशेष संशोधनों का अर्थ मॉडल बोली दस्तावेजों से विचलन के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

5. कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई कोयला ब्लॉक नीलामी नीति को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के संकल्प सं. 23/9/2015-आरएंडआर के माध्यम से डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (डीबीएफओओ) आधार पर स्थापित ताप विद्युत केंद्रों से विद्युत की अधिप्राप्ति के दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन **यथाआवश्यक परिवर्तनों** सहित, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (एफओओ) आधार पर स्थापित विद्युत स्टेशनों से मध्यकालिक अवधि के लिए विद्युत की अधिप्राप्ति पर भी लागू होंगे।

वितरण लाइसेंसियों द्वारा, 17 जनवरी, 2017 को जारी मानक बोली दस्तावेजों सहित विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा प्रशुल्क के निर्धारण हेतु 16 जनवरी, 2017 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों को निरसित किया जाता है। बशर्ते यह कि इस तारीख से पूर्व हस्ताक्षर किया गया कोई भी करार या की गई कोई भी कार्रवाई उक्त दिशा-निर्देशों के ऐसे निरसन द्वारा प्रभावित नहीं होगी और इसके अंतर्गत निरसित दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होती रहेंगी।

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 30th January, 2019

Revised Guidelines for Procurement of Electricity for Medium Term from Power Stations set up on Finance, Own and Operate (FOO) basis

No. 23/17/2013-R&R-Vol-VI (Part 2).—Whereas the Central Government is engaged in creating an enabling policy and regulatory environment for the orderly growth of generation of electricity in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003 (the "Act");

Whereas it is incumbent upon the Central Government, State Governments, Electricity Regulatory Commissions and the distribution licensees to promote competition in the procurement of electricity through competitive and transparent processes;

Whereas the Central Government has, after extensive consultations with various stakeholders and experts, evolved a model contractual framework for procurement of electricity by the Distribution Licensees from power producers who agree to construct and/or operate power generating stations set up on 'Finance, Own and Operate ("FOO") basis for medium term power or from Traders/ Distribution Licensees having back to back arrangements with power producers.

Whereas, The Central Government had, therefore vide its letter No. [No.23/17/2013-R&R] (Vol-II) dated 29th January 2014, issued the Model Documents comprising the Model Request for Qualification (the "MRFQ") and the Model Request for Proposal (the "MRFP"), and Model Agreement for Procurement of Power (the 'MAPP') (collectively, the "Model Bidding Documents") to be adopted by the distribution licensees for procurement of power from the power producers.

Based on the above, the Central Government had notified the Guidelines vide resolution No. 23/17/2013-R&R (Vol-II) dated 10th February 2014, which were further amended vide resolution dated 20th August, 2015. Further, the Central Government vide its letter No. 23/17/2013-R&R (Vol-IV) dated 16th January 2017, had issued a single document as the "Standard Bidding Document" comprising both the Model Request for Qualification (the "MRFQ") and the Model Request for Proposal (the "MRFP"),and the Model Agreement for Procurement of Power (the "MAPP") (collectively, the Standard Bidding Document and the MAPP are referred to as the "Model Bidding Documents") to be adopted by distribution licensees for procurement of electricity from the power producers/Traders/Discoms. Based on the same, the Central

Government had notified the Guidelines vide resolution No. 23/17/2013-R&R (Vol-V) dated 17th January 2017.

Ministry of Coal, vide its letter No. no 23011/15/2016-CPD/CLD dated 22nd May, 2017, has introduced the policy guidelines for allocation of Coal linkages to Power Sector - new more transparent Coal allocation policy for power Sector, 2017- SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India) (referred as the "SHAKTI Policy"). Under the SHAKTI scheme, use of linkage coal has also been allowed in Medium term power procurement.

Based on the above, for enabling the use of linkage coal as per the provisions of Para B (I), B (III) & B (IV) of SHAKTI Policy, the Central Government, vide its letter No. No. 23/17/2013-R&R-Vol-VI (Part 2) dated 29th January 2019, has issued the revised bidding documents (i) a single document as the "Standard Bidding Document" comprising both the Model Request for Qualification (the "MRFQ") and the Model Request for Proposal (the "MRFP"),and the (ii) Model Agreement for Procurement of Power (the "MAPP") (collectively, the Standard Bidding Document and the MAPP are referred to as the "Model Bidding Documents") to be adopted by distribution licensees for Procurement of Electricity from the Power Producers/Traders/Distribution Licensees through a process of open and transparent competitive bidding conducted by Distribution Licensees through an electronic platform (DEEP e-Bidding Portal) based on offer of the lowest tariff from power generating stations constructed and/or operated on FOO basis.

The link for the e-Bidding portal is available on the website of Ministry of Power (www.powermin.nic.in) and PFC Consulting Limited (www.pfcclindia.com).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 63 of the Electricity Act, 2003, the Central Government hereby notifies these guidelines to be known as the 'Guidelines for Procurement of Electricity for medium term from Power Stations set up on Finance, Own and Operate (FOO) basis (the "Guidelines"). These Guidelines shall come into effect from the date of publication in the official gazette subject to the following terms and conditions:

1. The terms and conditions specified in the Model Bidding Documents referred to hereinabove shall, by reference, form part of these Guidelines and shall be treated as such.
2. The application of these Guidelines shall be restricted to projects from which power is procured in accordance with an Agreement for Procurement of Power for a period between one and five years, with a provision for extension of this period upto 25% of the initial contract period or one year whichever is lower, with mutual consent.
3. The tariff determined through the DEEP e-Bidding process using e-reverse Auction based on these Guidelines comprising the Model Bidding Documents shall be adopted by the Appropriate Commission in pursuance of the provisions of section 63 of the Act.
4. Any deviation from the Model Bidding Documents shall be made by the Distribution Licensees only with the prior approval of the Appropriate Commission. Provided, however, that any project specific modifications expressly permitted in the Model Bidding Documents shall not be construed as deviations from the Model Bidding Documents.
5. The amendments made in the Guidelines for Procurement of Electricity from Thermal Power Stations set up on Design, Build, Finance, Own and Operate (DBFOO) basis vide Ministry of Power Resolution No. 23/9/2015-R&R dated 16th April, 2015 in view of new coal block auction policy issued by Ministry of Coal, shall also apply, mutatis mutandis, for procurement of electricity for Medium Term from Power Stations set up on Finance, Own and Operate (FOO) basis.

The 'Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees' issued on 17th January, 2017, including the Model Bidding Documents issued on 16th January, 2017 are hereby repealed. Provided, however, that any agreements signed or actions taken prior to the date hereof shall not be affected by such repeal of the said Guidelines and shall continue to be governed by the Guidelines repealed hereunder.

GHANSHYAM PRASAD, Chief Engineer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.07 13:47:47 +05'30'